भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1970

उत्तर देने की तारीख-17/12/2025

राज्यों द्वारा राष्ट्रीय क्रेडिट रूपरेखा (एनसीआरएफ) का कार्यान्वयन

1970 श्रीमती संगीता यादव:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों द्वारा राष्ट्रीय क्रेडिट रूपरेखा (एनसीआरएफ) के कार्यान्वयन के तहत शैक्षणिक और व्यावसायिक शिक्षा शाखाओं के बीच छात्रों की निर्बाध गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय किस प्रकार प्रस्ताव रखता है;
(ख) छात्रों के डिजीलॉकर खातों में सभी क्रेडिटों की डिजिटल रिकॉर्डिंग और एकीकरण की सुविधा के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;
(ग) एनसीआरएफ के तहत व्यावसायिक क्रेडिटों को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता रूपरेखा के साथ संरेखित करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए हैं;
(घ) क्या मंत्रालय ने राज्यों में एनसीआरएफ के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुपालन पर नजर रखने के लिए कोई निगरानी तंत्र तैयार किया है; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ) भारत सरकार ने समग्र, बहु-विषयक, व्यावहारिक और विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 तैयार की है, जो आजीवन अधिगम को बढ़ावा देती है। एनईपी में स्कूल और उच्चतर शिक्षा में व्यावहारिक कौशल को शामिल करके मुख्यधारा की शिक्षा के साथ कौशल विकास को एकीकृत करने पर बल दिया गया है। इस एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता रूपरेखा (एनएचईक्यूएफ) तैयार करने की परिकल्पना की गई है।

इसके अतिरिक्त, सभी प्रकार की शिक्षा की विश्वसनीयता और अकादमिक, कौशल-आधारित और अनुभवात्मक अधिगम में समता स्थापित करने के लिए, राष्ट्रीय क्रेडिट रूपरेखा (एनसीआरएफ) को प्राथमिक, स्कूल, उच्चतर और कौशल-आधारित शिक्षा को शामिल करने वाली एक व्यापक क्रेडिट रूपरेखा के रूप में शुरू किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने राष्ट्रीय क्रेडिट रूपरेखा (एनसीआरएफ) के संचालन के लिए एक एसओपी तैयार किया है, जो कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से कार्यक्रम के लिए कुल क्रेडिट आवश्यकता के 50% तक की अनुमति प्रदान करता है।

एनसीआरएफ को संचालित करने और क्रेडिट के सुरक्षित तथा अधिप्रमाणित रिकॉर्डिंग को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) योजना शुरू की है। एबीसी डिजीलॉकर और राष्ट्रीय आकादमिक डिपॉजिटरी (एनएडी) की डिजिटल अवसरंचना आधारित है, जो शैक्षिक दस्तावेजों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल रिपॉजिटरी प्रदान करने हेतु भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है।

एबीसी योजना के तहत शिक्षा पारिस्थितिकी में हितधारकों के बीच सहज संवाद के लिए प्रत्येक विद्यार्थी/शिक्षार्थी को 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने का प्रावधान है। इस 12 अंकों की विशिष्ट पहचान को 'स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री' (एपीएएआर आईडी) नाम दिया गया है। एपीएएआर आईडी को शिक्षार्थी की सम्पूर्ण यात्रा के दौरान अर्जित शैक्षणिक और कौशल क्रेडिट को संचित करने हेतु डिजाइन किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी) एबीसी योजना के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रालय का प्रौद्योगिकी साझेदार है। डीआईसी ने एबीसी वेबसाइट पर सुदृढ़ सहायता तंत्र जैसे शैक्षणिक संस्थाओं के लिए दैनिक वीडियो कॉन्फ्रेंस; प्रश्नों के दक्षतापूर्ण समाधान के लिए टिकटिंग प्रणाली; और विद्यार्थियों तथा संस्थाओं को प्रत्यक्ष सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन कार्यान्वित किया है। इसके अतिरिक्त, राज्य प्रशासनों और संस्थाओं के साथ समन्वय को सुगम बनाने के लिए डीआईसी द्वारा क्षेत्रीय और राज्य नोडल अधिकारी नामित किए गए है।

आज की स्थिति के अनुसार, एबीसी पोर्टल पर पुरस्कार देने वाले 2600 से अधिक संस्थाएं पंजीकृत हैं, उच्चतर और कौशल शिक्षा पारिस्थितिकी में 7 करोड़ से अधिक एपीएएआर आईडी की क्रेडिट रिकॉर्ड की मैपिंग के साथ 6 करोड़ से अधिक एपीएएआर आईडी सृजित की गई हैं।
